


18/12/25

पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व उनके वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार धावाजे लगाई गई बावजूद वादीगण व उनके वकील गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवं अडम परकी में खारिज की जाती है। पत्रावली फेजल शुमार होकर साखिले इफ्तार हो एवम् नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

